[redacted]

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0182 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/08/2024 16:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
4	भा दं सं 1860	193
5	भा दं सं 1860	409
6	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/04/2020 **Date To (दिनांक तक):** 30/11/2021

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/08/2024 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/08/2024 16:50:27 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 85 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** GRAM PANCHAYAT BHOMPURA, Panchyat samiti Raysinghnagar

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ASHOK KUMAR MEENA R.A.S.

(b) Father's Name (पिता का नाम): BHRAT LAL MEENA

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1980

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue
(जारी करने की तिथि):

Place of Issue
(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	B 63, MALVIYA NAGAR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	B 63, MALVIYA NAGAR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RICHHPAL		पिता:SAHIRAM	1. CHAK RAMJIWALA / AMARSAR,RAYSINGHNAGAR, RAISINGH NAGAR,अनूपगढ़, RAJASTHAN,INDIA
2	SUSHIL KUMAR AND OTHERS		पिता:BAJANLAL	1. CHAK 35 BARAWALI, RAYSINGHNAGAR,RAISINGH NAGAR,अनूपगढ़,RAJASTHAN, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		56,41,517.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 56,41,517.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि श्री अशोक कुमार मीणा आर.ए.एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् श्रीगंगानगर ने श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर को पत्रांक 8444 दिनांक 18.11.2021 के द्वारा श्री रिछपाल सरपंच एवं श्री सुशील कुमार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रेषित किया था, जिसमें अंकित किया कि " ग्राम पंचायत भोमपुरा की जांच अद्योहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार कार्यालय के आदेश क्रमांक 8194 दिनांक 20.10.2021 के द्वारा जिला परिषद् स्तर से गठित तीन सदस्यीय जांच दल (1) श्री अरविन्द सहारण सहायक अभियंता (ईजीएस) (2) श्री विजय कुमार जसूजा सहायक लेखाधिकारी (3) श्री उमाशंकर सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद् श्रीगंगानगर द्वारा उक्त ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यो की जांच करवाई गई। गठित जांच दल द्वारा दिनांक 18.11.2021 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस कार्यो की जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत के दस निर्माण कार्यो के पेटे जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुरूप उक्त सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी को तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अनुसार कार्य सम्पादित नही करवाना/स्वीकृति से अधिक राशि व्यय करना/कार्य नही करवाना/कार्य अपूर्ण व आधे-अधुरे करवाना/जांच टीम को पूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध नही करवाना/दोहरा भुगतान करना आदि आदि के रूप में भारी वित्तीय अनियमितता/लापरवाही का कृत्य किया गया है। फलस्वरूप इनके द्वारा निर्माण कार्यो पेटे जीकेएन-2010 में वर्णित प्रावधानों/दिशा-निर्देशों के बिन्दू सं. 2.7, 16.2.1(iv), 7.3.4(अ व ब), 9, 10, 17-20, 22.10 एवं 22.11 की पालना नही की गई। साथ ही स्वीकृत कार्यो में योजना के विभागीय दिशा-निर्देशों की भी अक्षरशः पालना नही करते हुये जांच में शामिल दस निर्माण कार्यो पेटे राजकीय राशि का दुरूपयोग व फर्जीवाड़ा करते हुये राशि 56,41,517/-के रूप में गबन का कृत्य किया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार इस वसूली/गबन की राशि 56,41,5172/-के लिये इनको संयुक्त रूप से नियमानुसार उत्तरदायी/दोषी माना गया है। जांच कमेटी द्वारा रिकॉर्ड/ कैशबुक/ दस्तावेजो/मस्टरोल/बिल वाउचर के मार्फत बड़े स्तर में फर्जीवाड़े के अन्तर्गत लगभग 56.42 लाख रूपये की वसूली/गबन सम्बधिंत उक्त सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध जांच कमेटी द्वारा उजागर किया गया जो कि भ्रष्टाचार की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। अतः उक्त के मध्यनजर जबकि प्रकरण जांच रिपोर्ट के चलते गबन के रूप में उजागर हुआ है, तो उत्तरदायी/दोषी व्यक्ति श्री रिछपाल सरपंच ग्राम पंचायत भोमपुरा एवं श्री सुशील कुमार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भोमपुरा पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करे। " उक्त शिकायत आर.न. 8595/2021 दिनांक 01.12.2021 में अति0आयुक्त एवं शासन उप सचिव-II(जांच), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर से क्रमांक एफ 3(15) जांच/पंरावि/श्रीगंगानगर/2023/ई-फाईल न. 14105/1525 दिनांक 11.10.23 से आरोपी श्री रिछपाल सरपंच एवं श्री सुशील कुमार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भोमपुरा पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध जांच/अनुसंधान हेतु धारा 17 ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत पूर्वानुमोदन प्रदान किया है। उक्त आरोपो पर प्राथमिक रजिस्टे्रशन रिपोर्ट ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित करने पर प्रा.जा.सं. 09/2024 दिनांक 24.01.2024 विरूद्ध श्री रिछपाल सरपंच ग्राम पंचायत भोमपुरा पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल जिला अनूपगढ एवं अन्य के दर्ज होकर प्राप्त होने पर मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान जिला परिषद् श्रीगंगानगर से ग्राम पंचायत भोमपुरा पंचायत समिति रायसिंहनगर के वर्ष 2020-21 में करवाये

गये दस कार्यो के सम्बधं करवाई गई जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर सरपंच/सचिव के विरूद्ध की गई कार्यवाही की सूचना एवं दस्तावेज प्राप्त किये गये तथा पंचायत समिति रायसिंहनगर से ग्राम पंचायत भोमपुरा के उक्त जांच रिपोर्ट में वर्णित दस कार्यो से सम्बधिंत लेखा/दस्तावेज प्राप्त किये गये तथा आरोपीगण के नियुक्ति एवं पदस्थापन सम्बंधी दस्तावेज प्राप्त किये जाकर सम्बधिंत से जांच कर कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण के लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। जांच के दौरान ग्राम पंचायत भोमपुरा में वर्ष 2020-21 में करवाये गये 10 कार्यो के सम्बधं में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर से प्राप्त रिकॉर्ड एवं सूचना अनुसार विवरण इस प्रकार है- 1.भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का विस्तार कार्य भोमपुरा (कार्य कोड संख्या- 2020-2021/46394)- यह कार्य चौदहवां वित्त आयोग ग्राम पंचायत मद के तहत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किया गया था। इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति रायसिंहनगर द्वारा क्रमांक 2020-21/30730 दिनांक 03.09.2020 द्वारा जारी की गई थी। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भोमपुरा एवं सरपंच ग्राम पंचायत भोमपुरा द्वारा वित्तीय स्वीकृति क्रमांक-29083 दिनांक 03.09.2020 के द्वारा श्रम पेटे 138884/- रू. एवं सामग्री पेटे 361091/- रू. कुल 499975/- रू. की स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्य को कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत भोमपुरा द्वारा दिनांक 03.11.2020 को कार्य प्रारम्भ कर दिनांक 30.12.2020 तक सात पखवाड़ो में चलाया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य के पेटे श्रम -191675/-सामग्री -862403/- कुल 1054078/-रूपये व्यय किये गये है। इस प्रकार उक्त कार्य पर स्वीकृत राशि से 554103/- रूपये अधिक व्यय किये जाना पाया गया है। उक्त कार्य का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नही होना पाया गया। उक्त कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत भोमपुरा के सरपंच श्री रिछपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार रहे है। 2. 110 एमएम एचडीपीई पेयजल पाईप लाईन आपूर्ति कर बिछाना एवं जोड़ना इत्यादि वाटर वर्क्स से लेकर राजाराम के घर तक 4180 फीट, रामजीवाला (कार्य कोड संख्या- 2020-2021/31493) - यह कार्य चौदहवां वित्त आयोग ग्राम पंचायत मद के तहत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किया गया था। इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति रायसिंहनगर द्वारा क्रमांक 2020-21/22904 दिनांक 11.08.2020 द्वारा जारी की गई थी। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भोमपुरा एवं सरपंच ग्राम पंचायत भोमपुरा द्वारा वित्तीय स्वीकृति क्रमांक-21643 दिनांक 11.08.2020 के द्वारा श्रम पेटे 75643/- रू. एवं सामग्री पेटे 422987/- रू. कुल 498630/- रू. की स्वीकृति जारी की गई थी। तकनीकी स्वीकृति पर सक्षम अधिकारी (कनिष्ठ अभियन्ता) के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त कार्य को कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत भोमपुरा द्वारा दिनांक 01.09.2020 को कार्य प्रारम्भ कर दिनांक 30.09.2020 तक दो पखवाड़ा में चलाया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य के पेटे श्रम -75640/-सामग्री -837996/- कुल 913636/-रूपये व्यय किये गये है। इस प्रकार उक्त कार्य पर स्वीकृत राशि से 415006/-रूपये अधिक व्यय किये जाना पाया गया है। उक्त कार्य का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं होना पाया गया। उक्त कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत भोमपुरा के सरपंच श्री रिछपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार रहे है। 3. 110 एमएम एचडीपीई पेयजल पाईप लाईन आपूर्ति कर बिछाना एवं जोड़ना इत्यादि राजाराम के घर से रविदास के घर तक 4180 फीट, रामजीवाला (कार्य कोड संख्या- 2020-2021/31484)- यह कार्य चौदहवां वित्त आयोग ग्राम पंचायत मद के तहत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किया गया था। इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति रायसिंहनगर द्वारा क्रमांक 2020-21/22903 दिनांक 11.08.2020 द्वारा जारी की गई थी। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भोमपुरा एवं सरपंच ग्राम पंचायत भोमपुरा द्वारा वित्तीय स्वीकृति क्रमांक-21644 दिनांक 11.08.2020 के द्वारा श्रम पेटे 75643/- रू. एवं सामग्री पेटे 422987/- रू. कुल 498630/- रू. की स्वीकृति जारी की गई थी। तकनीकी स्वीकृति पर सक्षम अधिकारी (कनिष्ठ अभियन्ता) के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त कार्य को कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत भोमपुरा द्वारा दिनांक 01.09.2020 को कार्य प्रारम्भ कर दिनांक 30.09.2020 तक दो पखवाड़ो में चलाया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य के पेटे श्रम -75425/-सामग्री -837996/- कुल 913421/-रूपये व्यय किये गये है। इस प्रकार उक्त कार्य पर स्वीकृत राशि से 414791/-रूपये अधिक व्यय किये जाना पाया गया है। उक्त कार्य का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं होना पाया गया। उक्त कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत भोमपुरा के सरपंच श्री रिछपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार रहे है। 4. इन्टरलोकिंग सड़क निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र परिसर में भोमपुरा (कार्य कोड संख्या- 2020-2021/53234)- यह कार्य चौदहवां वित्त आयोग ग्राम पंचायत मद के तहत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किया गया था। इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति कनिष्ठ तकनीकी सहायक (श्री हरबीर सिंह बराड़) पंचायत समिति रायसिंहनगर द्वारा क्रमांक 2020-21/38170 दिनांक 14.09.2020 द्वारा जारी की गई थी। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भोमपुरा एवं सरपंच ग्राम पंचायत भोमपुरा द्वारा वित्तीय स्वीकृति क्रमांक-2020-2021/35993 दिनांक 14.09.2020 के द्वारा श्रम पेटे 77775/- रू. एवं सामग्री पेटे 420329/- रू. कुल 498104/- रू. की स्वीकृति जारी की गई थी। तकनीकी स्वीकृति पर सक्षम अधिकारी (कनिष्ठ तकनीकी सहायक) के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त कार्य को कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत भोमपुरा द्वारा दिनांक 16.01.2021 को कार्य प्रारम्भ किया कर दिनांक 15.07.21 तक दो पखंवाड़ो में चलाया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य के पेटे श्रम -82950/-सामग्री -1783344/-कुल 1866294/-रूपये व्यय किये गये है। इस प्रकार उक्त कार्य पर स्वीकृत राशि से 1368190/-रूपये अधिक व्यय किये जाना पाया गया है। उक्त कार्य

का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नही होना पाया गया। उक्त कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत भोमपुरा के सरपंच श्री रिछपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार रहे है। 5.सामुदायिक स्वच्छता काम्पलैक्स निर्माण बाबा हरीराम मन्दिर के पास चक 52 एनपी (कार्य कोड संख्या - 2020-2021/98500)- यह कार्य एसबीएमग्राम पंचायत मद एवं पन्द्रहवां वित्त आयोग ग्राम पंचायत मद के तहत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पत्रावली में तकनीकी स्वीकृति संलग्न नहीं है। जिला परिषद स्तर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीगंगानगर द्वारा प्रषासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 430 दिनांक 23.10.2020 के द्वाराजारी की गई थी। श्रम पेटे 87000/- रू. एवं सामग्री पेटे 213000/- रू. कुल 300000/- रू. की स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्य को कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत भोमपुरा द्वारा दिनांक 01.01.2021 को कार्य प्रारम्भ कर दिनांक 15.01.21 तक एक पखवाड़ा में चलाया गया था । ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य के पेटे श्रम -42885/-सामग्री -382829/- कुल 425714/-रूपये व्यय किये गये है। इस प्रकार उक्त कार्य पर स्वीकृत राशि से 125714/-रूपये अधिक व्यय किये जाना पाया गया है। उक्त कार्य का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नही होना पाया गया। उक्त कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत भोमपुरा के सरपंच श्री रिछपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार रहे है। 6.सामुदायिक स्वच्छता काम्पलैक्स निर्माण धर्मषाला के पास चक अमरसर (कार्य कोड संख्या- 2020-2021/81149)- यह कार्य एसबीएम ग्राम पंचायत मद एवं पन्द्रहवां वित्त आयोग ग्राम पंचायत मद के तहत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पत्रावली में तकनीकी स्वीकृति संलग्न नहीं है। जिला परिषृद स्तर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीगंगानगर द्वारा प्रषासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 430 दिनांक 23.10.2020 के द्वारा जारी की गई थी। श्रम पेटे 87000/- रू. एवं सामग्री पेटे 213000/- रू. कुल 300000/- रू. की स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्य को कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत भोमपुरा द्वारा दिनांक 01.11.2020 को कार्य प्रारम्भ कर दिनांक 01.01.21 तक तीन पखवाड़ो में चलाया गया था। उक्त कार्य का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं होना पाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य के पेटे श्रम -70915/-सामग्री -417188/-कुल 488103/-रूपये व्यय किये गये है। इस प्रकार उक्त कार्य पर स्वीकृत राशि से 188103/-रूपये अधिक व्यय किये जाना पाया गया है। उक्त कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत भोमपुरा के सरपंच श्री रिछपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार रहे है। 7. सामुदायिक स्वच्छता काम्पलैक्स निर्माण राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल भोमपुरा (कार्य कोड संख्या- 2020-2021/66786)- यह कार्य एसबीएमग्राम पंचायत मद एवं पन्द्रहवां वित्त आयोग ग्राम पंचायत मद के तहत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पत्रावली में तकनीकी स्वीकृति संलग्न नहीं है। जिला परिषद स्तर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीगंगानगर द्वारा प्रषासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 387 दिनांक 22.09.2020 के द्वारा जारी की गई थी। श्रम पेटे 87000/- रू. एवं सामग्री पेटे 213000/- रू. कुल 300000/- रू. की स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्य को कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत भोमपुरा द्वारा दिनांक 09.10.2020 को कार्य प्रारम्भ किया जाकर दिनांक 30.11.20 तक तीन पखवाड़ो में चलाया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य के पेटे श्रम -82370/-सामग्री -552188/-कुल 634558/- रूपये व्यय किये गये है। इस प्रकार उक्त कार्य पर स्वीकृत राशि से 334558/-रूपये अधिक व्यय किये जाना पाया गया है। उक्त कार्य का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नही होना पाया गया। उक्त कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत भोमपुरा के सरपंच श्री रिछपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार रहे है। 8. राजीव गांधी सेवा केन्द्र की चारदीवारी ऊँचा करना, भोमपुरा (कार्य कोड संख्या- 2020-2021/ 53236)- यह कार्य चौदहवां वित्त आयोग ग्राम पंचायत मद के तहत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किया गया था। इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति रायसिंहनगर द्वारा क्रमांक 2020-21/38169 दिनांक 14.09.2020 के जरिये जारी की गई थी। तकनीकी स्वीकृति पर तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत स्तर से वित्तीय स्वीकृति क्रमांक-2020-21/35994 दिनांक 14.09.2020 के द्वारा श्रम पेटे 65383/- रू. एवं सामग्री पेटे 78466/- रू. कुल 143849/- रू. की स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत भोमपुरा थी। इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत द्वारा मस्टरोल जारी नहीं करवाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य के पेटे श्रम -00 सामग्री -158434/-कुल 158434/-रूपये व्यय किये गये है। इस प्रकार उक्त कार्य पर स्वीकृत राशि से 14585/-रूपये अधिक व्यय किये जाना पाया गया है। उक्त कार्य का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नही होना पाया गया। उक्त कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत भोमपुरा के सरपंच श्री रिछपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार रहे है। 9.राजीव गांधी सेवा केन्द्र का विस्तार कार्य, भोमपुरा (कार्य कोड संख्या- 2020-2021/ 171320)- यह कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निजी आय ग्राम पंचायत मद से वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किया गया था। इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति रायसिंहनगर द्वारा क्रमांक 2020-21/126506 दिनांक 31.03.2021 के द्वारा जारी की गई थी। ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच ग्राम पंचायत भोमपुरा द्वारा वित्तीय स्वीकृति क्रमांक-2020-21/118208 दिनांक 31.03.2021 के द्वारा श्रम पेटे 32806/- रू. एवं सामग्री पेटे 105653/- रू. कुल 138459/- रू. की स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्य हेतु ग्राम पंचायत द्वारा मस्टररोल जारी नहीं करवाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य के पेटे श्रम -00 सामग्री -314854/-कुल 314854/-रूपये व्यय किये गये है। इस प्रकार उक्त कार्य पर स्वीकृत राशि से 176395/-रूपये अधिक व्यय किये जाना पाया गया है। उक्त कार्य का कार्य पूर्णता

प्रमाण-पत्र जारी नहीं होना पाया गया। उक्त कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत भोमपुरा के सरपंच श्री रिछपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार रहे है। 10. इन्टरलोकिंग सड़क निर्माण पूर्व निर्मित इन्टरलोकिंग से पूर्वी फिरनी की ओर, 52 एनपी (कार्य कोड संख्या- 2019-20/183136)- यह कार्य ग्राम पंचायत भोमपुरा द्वारा राज्य वित्त आयोग पंचम के तहत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किया गया था। इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति रायसिंहनगर द्वारा क्रमांक 2019-20/146762 दिनांक 22.11.2019 के जरिये जारी की गई थी। ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच ग्राम पंचायत भोमपुरा द्वारा वित्तीय स्वीकृति क्रमांक-2019-20/139879 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा श्रम पेटे 68000/- रू. एवं सामग्री पेटे 432000/- रू. कुल 500000/- रू. की स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्य के पेटे ग्राम पंचायत द्वारा दो मस्टररोल जारी करवाये गये थे लेकिन दोनों मस्टररोल खाली है तथा श्रम पेटे खर्च राषि शून्य है तथा सामग्री पेटे 771019/रूपये व्यय किये गये है। इस प्रकार उक्त कार्य के पेटे स्वीकृति राशि से 271019/-रूपये अधिक व्यय किये गये है। उक्त कार्य का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नही होना पाया गया। उक्त कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत भोमपुरा के सरपंच श्री रिछपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार रहे है। जांच से यह तथ्य सामने आया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 8194-99 दिनांक 20.10.21 के आदेशानुसार ग्राम पंचायत भोमपुरा पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के द्वारा ई-पंचायत पोर्टल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्य में हुये स्वीकृत राशि से अधिक भुगतान के प्रकरण की विस्तृत जांच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें श्री अरविंद सहारण, सहायक अभियंता, श्री विजय कुमार जसूजा सहायक लेखाधिकारी-प्रथम तथा श्री उमाशंकर सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर सदस्य थे। जांच कमेटी द्वारा दिनांक 29.10.2021 को ग्राम पंचायत भोमपुरा पंचायत समिति रायसिंहनगर में उपस्थित होकर कार्यो एवं संबधित अभिलेखो की जांच की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् श्रीगंगानगर के आदेशो की पालना में पंचायत समिति रायसिंहनगर के सहायक अभियंता श्री परमपाल सिंह एवं श्री संजय जाखड़ कनिष्ठ अभियंता द्वारा कार्यो का भौतिक सत्यापन कर अंतरिम मूल्यांकन/जांच प्रतिवेदन दिनांक 17.11.2021 को प्रस्तुत की गई। जांच कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 18.11.2021 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् श्रीगंगानगर को प्रस्तुत की गई थी, जो इस प्रकार है- क्र.सं. स्कीम का नाम कार्य का नाम वित्तीय स्वीकृति क्रमांक वित्तीय स्वीकृति राशि (रूपये में) ई-भुगतान के अनुसार व्यय राशि तकनीकी टीम द्वारा जारी मूल्यांकन राशि ई-भुगतान के अनुसार कुल वसूली राशि 1. 14वां वित आयोग भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का विस्तार कार्य भोमपुरा एफएस/2020 —21/30839 499975 862403 445077 417326 2 14वां वित आयोग 110 एमएम एचडीपीई पेयजल पाईप लाईन आपूर्ति कर बिछाना एवं जोडना इत्यादि वाटर वर्क्स से लेकर राजाराम के घर तक 4180 फीट रामजीवाला एफएस/2020 —21/21643 498630 837997 0 837997 3 14वां वित आयोग 110 एमएम एचडीपीई पेयजल पाईप लाईन आपूर्ति कर बिछाना एवं जोडना इत्यादि राजाराम के घर से रविदास के घर तक 4180 फीट रामजीवाला एफएस/2020 —21/21644 498630 837997 0 837997 4 14वां वित आयोग इन्टर लॉकिंग सडक निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र परिसर में भोमपुरा एफएस/2020 —21/35993 498104 1731344 0 1731344 5 स्वच्छ भारत मिशन सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलेक्स निर्माण बाबा हरिराम मंदिर के पास 52 एनपी 430 300000 382829 233719 149110 6 स्वच्छ भारत मिशन सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलेक्स निर्माण धर्मशाला के पास अमरसर 430 300000 418776 223197 195579 7 स्वच्छ भारत मिशन सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलेक्स राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल 387 300000 552188 189880 362308 8 14वां वित आयोग राजीव गांधी सेवा केन्द्र की चारदीवारी उंचा करना भोमपुरा एफएस/2020 —21/35994 143849 158434 0 158434 9 निजी आय राजीव गांधी सेवा केन्द्र का विस्तार कार्य भोमपुरा एफएस/2020 —21/118208 138459 314854 134451 180403 10 राज्य वित आयोग इन्टर लॉकिंग सडक निर्माण पूर्व निर्मित इन्टरलॉकिंग से पूर्वी फिरनी की ओर 52 एनपी एफएस/2020 —21/139879 500000 771019 0 771019 योग 36,77,647 68,67,841 12,26,324 56,41,517 उपरोक्त सारणी के विशेष तथ्य/नोट निम्नानुसार है- 1.उक्त सारणी में क्रम संख्या 02 व 03 पर अंकित कार्यो के लिये कार्यकारी संस्था द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के बिन्दु संख्या 2.7 व 16.2.1 के उप बिन्दु संख्या 06 में वर्णित प्रावधानो/दिशा निर्देशो की पालना कार्यकारी संस्था द्वारा तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध नही करवाने के कारण तकनीकी टीम के सदस्यो द्वारा मूल्याकंन भी नही किया गया। उक्त के मध्यनजर दोनो कार्यो की समस्त व्यय राशि रूपये 16,75,994/- की वसूली जारी की गई। 2.उक्त सारणी के क्रम संख्या 04 पर अंकित कार्य में श्रीमान शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी पत्र दिनांक 10.03.2017 के अनुसार सड़क निर्माण की गुणवता स्थानीय लैब टस्टिंग में गुणवता परीक्षण के दौरान तकनीकी मापदण्डो के अनुसार न होने एवं तकनीकी स्वीकृति में वर्णित मोटाई के इन्टरलॉकिंग टाइल्स का कार्यस्थल पर प्रयोग/उपयोग नही करने के कारण तकनीकी टीम के सदस्यो द्वारा मूल्याकंन भी नही किया गया। उक्त के मध्यनजर निष्फल व्यय के रूप में समस्त व्यय राशि रूपये 17,31,344/- की वसूली जारी की गई । 3.उक्त सारणी के समस्त कार्यो के लिये कार्यकारी संस्था द्वारा जांच के दौरान उपलब्ध रिकॉर्ड में कार्यो के पेटे उपयोगिता प्रमाण पत्र, एमबी अंकन, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र से संबधित दस्तावेज/रिकॉर्ड

उपलब्ध नही करवाये तथा साथ ही एमबी संख्या 202 (जारी दिनांक 21.01.2020/ ग्राम पंचायत भोमपुरा) जो कि जांच से पूर्व पृष्ठ संख्या 01 से 10 तक अंकित थी। उपलब्ध करवायी गई माप पुस्तिका में उक्त वर्णित कार्यो का एमबी में अंकन नही होना पाया गया। अंतरिम जांच रिपोर्ट के दौरान पांच कार्य (क्र.सं. 1, 5, 6, 7, व 09) कार्यो का एमबी अंकन एमबी संख्या 202 के पृष्ठ संख्या 11 से 36 पर किया गया है, शेष पृष्ठ 37 से 100 तक खाली है। 4.उक्त सारणी के समस्त कार्यो के लिये कार्यकारी संस्था द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 में वर्णित प्रावधान के बिन्दु संख्या 09, 10, 17 से 20, 22.10 एवं 22.11 की पालना नही की गई है साथ ही स्वीकृत कार्यो में वर्णित योजना के विभागीय दिशा निर्देशो की पालना भी कार्यकारी संस्था द्वारा नही की गई है । 5.सारणी में क्रम संख्या 01, 5, 6, 7 एवं 09 पर अंकित कार्यो के लिये तकनीकी टीम द्वारा किया गया कुल मूल्यांकन राशि रूपये 12,26,324/- है । 6.सारणी की क्रम संख्या 08 व 10 पर अंकित कार्य कार्यकारी संस्था द्वारा सम्पादित नही करवाने के कारण इन कार्यो के पेटे समस्त व्यय राशि रूपये 9,29,453/- गबन के अंतर्गत है। जांच रिपोर्ट में सहवन से 6,58,434/- रूपये अंकित है। अतः कार्यकारी संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये गये रिकॉर्ड/दस्तावेज एवं कार्यो के पंचायत समिति रायसिंहनगर द्वारा गठित तकनीकी टीम द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन के अनुसार उक्त अंतरिम जांच रिपोर्ट अनुसार कुल वसूली राशि रूपये 56,41,517/- जारी की गई है। उक्त वसूली राशि के लिये कार्यकारी संस्था के सम्बधिंत श्री रिछपाल सरपंच एवं श्री सुशील गोदारा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भोमपुरा पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर संयुक्त रूप से उत्तरदायी/दोषी है। इस प्रकार समस्त जांच के दौरान संकलित ब्यानात गवाहान व दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य पाया जाता है कि ग्राम पंचायत भोमपुरा पंचायत समिति रायसिंहनगर के द्वारा ई-पंचायत पोर्टल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्य में हुये स्वीकृत राशि से अधिक भुगतान के प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु जिला परिषद् श्रीगंगानगर स्तर से तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 18.11.21 के अनुसार कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत भोमपुरा के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आपसी मिलीभगत कर एवं अपने-अपने पद का दुरूपयोग करते हुये तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अनुसार कार्य सम्पादित नही करवाना/स्वीकृति से अधिक राशि व्यय करना/कार्य नही करवाना/कार्य अपूर्ण व आधे-अधुरे करवाकर, रिकॉर्ड तैयार कर दोहरा भुगतान उठाकर राजकीय राशि का दुरूपयोग करते हुये फर्जीवाड़ा कर गबन किया गया है। निर्माण कार्यो के लिये उक्त 10 कार्यो के पेटे कार्यकारी संस्था जी.के.एन. 2010 में वर्णित प्रावधानो/दिशा निर्देशो के बिन्दु संख्या 2.7, 16.2.1(IV), 7.3.4 (अ व ब) , 9, 10, 17-20, 22.10 एवं 22.11 की पालना नही की गई एवं स्वीकृत कार्यो में वर्णित योजना के विभागीय दिशा-निर्देशों की भी अक्षरशः पालना भी कार्यकारी संस्थान द्वारा नही की गई। उक्त के मध्यनजर समस्त वसूली राशि 56,41,517/- गबन के अन्तर्गत है। उक्त वसूली/गबन की राशि 56,41,517/-के लिये श्री रिछपाल सरपंच एवं श्री सुशील गोदारा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भोमपुरा पंचायत समिति रायसिंहनगर संयुक्त रूप से उत्तरदायी/दोषी है। अतः आरोपीगण श्री रिछपाल सरपंच एवं श्री सुशील गोदारा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भोमपुरा पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर एवं अन्य के विरूद्ध 7 (सी), 13 (1)(ए) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 193, 409, 120 बी भादसं. के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (पवन कुमार मीणा) अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर-प्रथम.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पवन कुमार मीणा, अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 (सी), 13(1)(ए)सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 193, 409, 120 बी भादसं में आरोपीगण 1- श्री रिछपाल पुत्र श्री सहीराम उम्र 38 साल निवासी चक रामजीवाला (अमरसर) पो0ऑ0 भोमपुरा हाल सरपंच ग्राम पंचायत भोमपुरा, पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर,2-श्री सुशील कुमार पुत्र श्री भजनलाल उम्र 49 साल निवासी चक 35 एमएल(बारावाली) पो0ऑ0 डाबला तहसील रायसिंहनगर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भोमपुरा, पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर,3.-एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री भुपेन्द्र कुमार सोनी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 434 पर अंकित है। (ज्ञान सिहं चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 980-85 दिनांक 29.08.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर। 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर। 4 उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर। 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,श्रीगंगानगर-प्रथम। 6 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर(प्राथमिक जॉच संख्या 09/2024) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** BHUPENDER KUMAR SONI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/10/1986				
2	Male	04/09/1975				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)